

1.6(a)

Annexure-I

FORM-I
(for Linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

No.

/

Dated : 14 / 01 / 2015

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is a certified that **1.099 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **Public Works Department Uttarakhand** for **Construction of Koti Band to Ghathora Motor Road & 2 R.C.C. Bridge in district Chamoli** falls within jurisdiction of Ghathora Village in Karanprayag Tehsil.

It is further certified that :-

- (d) The Complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.099 Hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23. (A).
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha (s) have given their consent to it,
- (f) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above

Sanjay Kumar
District Magistrate
Chamoli (Uttarakhand)

1.6(b)

**Office of the District Collector,
District-Chamoli (Uttarakhand)**

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act)FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhnad), constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri Sanjay Kumar, District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on .. At .. At Chamoli in which the application claiming rights in village Ghathora of Tehsil-Karanprayag, area Measuring 1.099 Hectares for the Construction of Koti Band to Ghathora Motor Road & 2 R.C.C. Bridge in district Chamoli of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Karanprayag Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.


Sanjay Kumar
District Magistrate -cum-
Chairman, District Level
Committee, Chamoli

1.6(c)प्रपत्र-23.2

(B)

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कोटी बैण्ड से घतोडा मोटर मार्ग एवं 02 आर.सी.सी. सेतु निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड चमोली..... परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कोटी बैण्ड से घतोडा नोटर मार्ग एवं 02 आर.सी.सी. सेतु निर्माण कार्य तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु (0.105 .हे. आरक्षित वन भूमि 0.378 .हे. सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.616 हे. वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.099 हे. वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय समिति, (तहसील- कर्णप्रयाग) की दिनांक 13/01/2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक 13/01/2015 उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1:- श्री ...किम्पत्र.लिट.नेटि उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग () अध्यक्ष *3/01/2015*
- 2:- श्री त्रिवेतन्दु.मुमुक्षु उप प्रभागीय बनाधिकारी सदस्य, *15/01/2015*
- 3:- श्री मोहन सिंह भण्डारी सहायक समाज कल्याण अधिकारी कर्णप्रयाग .सदस्य/सचिव, *15/01/2015*
- 4:- श्री इंद्रेश.सिंह.बहल. बी.डी.सी. क्षेत्र पंचायत ...कोटी.... सदस्य, *15/01/2015*
- 5:- श्री मालयाल पुरीदिल वन अधिकार रामीति सदस्य, *15/01/2015* कर्णप्रयाग (चमोली)
- 6:- श्रीती.कृष्णल मुकुल कर्णप्रयाग रामीति सदस्य, *15/01/2015*
- 7:- श्री नव्याल.सिंह.नेटि उपखण्ड स्तरीय वनवासी माननीय सदस्यों वन बैठक न स्थागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत कोटी बैण्ड से घतोडा मोटर मार्ग का परियोजना हेतु 1099 हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग

~~प्रयोक्ता~~ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत बनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्व समिति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय बनाधिकारी ~~कृष्णनगर तहसील~~ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिकारियम 2006 के अन्वर्गित किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्व समिति से उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत कोटी बैण्ड से घलोडा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु परियोजना के निर्माण हेतु 11.09.2015 है। वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - कर्णप्रयाग
जनपद - चमोली।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - कर्णप्रयाग
जनपद - चमोली।

1.6(d)प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कोटी बैण्ड से घतोडा मोटर मार्ग एवं 02 आर.सी.सी. सेतु निर्माण कार्य।

वन अधिकारी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:- घतोडा,

तहसील - कर्णप्रयाग, जिला- चमोली,

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कोटी बैण्ड से घतोडा मोटर मार्ग एवं 02 आर.सी.सी. सेतु निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु (0.105 हे. आरक्षित वन भूमि, 0.378 हे. सिविल सोयम भूमि 0.616 हे., वन पंचायत भूमि X हे.) अर्थात कुल 1.099 हे. वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायतघतोडा... द्वारा दिनांक06/01/2015..... को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विरत्तुत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपरिथित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम घतोडा एवं कोटी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग को मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।



ज्येष्ठ उप प्रमुख
क्षेत्र भवानी
कर्णप्रयाग (चमोली)

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ह./-

ग्राम सविव.

ग्राम प्रधान— घतोडा,

नोट— यदि किसी आदिवासी अथवा बनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र— 23.1

दिनांक 06/01/2015 को ग्राम सभा की सम्मन बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत — घतोडा,

कमांक

ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम


हस्ताक्षर

1:- सर्व. श्री रघुवीर सिंह कोटिमाझ

2:- प्रताप सिंह नेगी

Ramgopal

नाटलाखी



3:- " ननदन सिंह कोटिमाझ

Nanadan

4:- " अवला सिंह नेगी

Avala

5:- " प्रभासिंह पवार

Prabhas

6:- गोपाल सिंह पवार

Gopal

7:- दिगम्बर सिंह नेगी

Digamber

8:- चुक्कर सिंह पवार

Chukkar

9:- चिरन्दु सिंह पवार

Chirandu

10:- कुलदीप सिंह नेगी

Kuldeep

11:- उमर्दा देवी

Umarda

12:- लक्ष्मी देवी

Lakshmi

ज्येष्ठ उप प्रमुख
लोज पंचायत
कर्णप्रद्याग (घासी)

प्रपत्र- 23.1

परियोजना का नाम:-

वनअधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम.....कुमाऊँ


तहसील.....नाशिंगड़ जिला.....काशीगढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उक्तराखण्ड में जनपद.....काशीगढ़ अन्तर्गत लोक निधि विभाग द्वारा निर्मित कार्यालय स्थानांक.....परियोजना के निर्माण हेतु ०.१०५ हेतु आरक्षितवनभूमि.....X हेतु सिविल सोयमभूमि.....X हेतु वनपंचायत भूमि अर्थात कुल ०.१०५ हेतु वनभूमि का लोक निधि विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वनमंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत.....द्वारा दिनांक 13/06/2016 को सम्बन्ध ग्रामसभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्यनहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसमति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम.....के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ०.१०५ आरक्षित वन प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।



नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अधिकारी में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र— 23.1

दिनांक 13/08/2016 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्रामपंचायत विवरण

क्रमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	मानवि	मनोज
2.	जगता सिंह	जगता सिंह
3.	रघुवर	रघुवर
4.	मनर सिंह	मनर सिंह
5.	प्रभाल	प्रभाल
6.	शुभर सिंह	शुभर सिंह
7.	जिते सिंह	जिते सिंह
8.	उद्धन सिंह	उद्धन सिंह
9.	महन सिंह	महन सिंह
10.	जोधन सिंह	जोधन सिंह
11.	बलबरू सिंह	बलबरू सिंह
12.	लाल सिंह	लाल सिंह
13.	कृपाल सिंह	कृपाल सिंह
14.	महिषाट	महिषाट
15.	केसर सिंह	केसर सिंह

वन पंचायत सदस्य
जिते सिंह

